


कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।



01:- सेवा निवृत्त कर्मचारी का नाम	
02:- पिता का नाम	
03:- जन्मतिथि	
04:- आयु दिनांक 01.11.2023 के अनुसार	
05:- सेवा निवृत्त की तिथि	
06:- आवेदित पद का नाम	
07:- स्थायी निवास	
08:- अस्थायी निवास (यदि कोई हो) पत्राचार हेतू	
09:- अन्तिम धारित पद	
10:- मोबाईल नम्बर/ई0मेल आई0डी0	
11:- अंतिम धारित पद पर आहरित अंतिम प्रमाण पत्र और अंतिम पेशन प्रमाण पत्र संलग्नक करें।	
12:- पिछले पाँच साल के ए0सी0आर0 की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी केवल उन कर्मचारियों के लिये जो लिये जो मेरठ के अलावा अन्य जिला न्यायालय से है।	

**घोषण**

मैं ..... पुत्र/पुत्री .....  
निवासी .....

प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन में अंकित विवरण मेरे निजी ज्ञान में है मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं किया गया है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ तथा कार्य करने में सक्षम हूँ। मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा लम्बित नहीं एवं पंजीकृत नहीं है।

हस्ताक्षर आवेदक



कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।

सूचना


माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-14/एडमिन डी अनुभाग दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, मेरठ में रिक्त निम्न पदों पर जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण की पुनर्नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 16.11.2023 की साँय 5.00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ में प्राप्त किये जायेंगे।

क्र०सं०	पुनर्नियुक्ति हेतु पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	मानदेय
1	आशुलिपिक ग्रेड-3	05	Principal of Last pay drawn minus amount of pension
2	वरिष्ठ सहायक	50	Principal of Last pay drawn minus amount of pension

उपरोक्त पदों पर पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारीगण का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नई नियुक्ति/पदोन्नति होने तक अथवा एक वर्ष के लिये, जो भी न्यूनतम हो तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि के लिये की जायेगी।

अन्य जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पिछले पाँच वर्षों की चरित्र पंजिका की प्रविष्टी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।

नोटिस की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये एवं जनपद न्यायालय, मेरठ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाये तथा एक प्रति जिला सूचना अधिकारी मेरठ को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

  
(रजत सिंह जैन)  
जिला न्यायाधीश,  
मेरठ।